

पद का नाम	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ ग्रेड पद की बीस (20) रिक्तियां।	
विज्ञापन सं.	14/2021	
रिक्ति सं.	21101403409	
लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	अ.यो-क + अ.यो-खको बढ़ाकर 3 वर्ष या अधिक किया गया
	ईडब्ल्यूएस	अ.यो-क + अ.यो-ख को बढ़ाकर 3 वर्ष या अधिक किया गया
	अ.पि.व	अ.यो-क + अ.यो-ख को बढ़ाकर 3 वर्ष या अधिक किया गया
	अ.जा.	अ.यो-क + अ.यो-ख
	अ.ज.जा.	अ.यो-क + अ.यो-ख
	पीडब्ल्यूबीडी	अ.यो-क + अ.यो-ख
चूंकि उपरोक्त मानदंडों पर तमिल, बांग्ला और कश्मीरी भाषाओं/रिक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार लघु सूचीबद्ध नहीं किए जा सके, अतः इन भाषाओं के लिए प्रथम वरीयता वाले आवेदनो की संवीक्षा अ.यो-क + अ.यो-ख मानदंडों सहित द्वितीय चरण में की गई है ताकि इनके लिए उम्मीदवारों को लघु सूचीबद्ध किया जा सके।		
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	01, 05/06*, 16, 21, 28, 36, 37, 46, 48, 49, 50, 59, 63, 65, 75, 76, 79, 83, 87, 104, 108, 110, 115, 130, 140, 143, 149, 150, 174, 186, 198, 209, 212, 232, 243, 247, 254, 259, 260, 269, 271, 272, 281, 288, 289, 290, 295, 298, 305, 310, 312, 313, 318#, 319#, 321#, 325#, 331#, 354, 361, 362, 369, 373, 374, 378, 379, 382, 383, 394, 404, 406/407*, 414, 418, 422, 429, 435, 440, 442, 447, 454, 455, 458, 466, 472, 474, 481, 482, 490, 494, 499, 506, 523, 525, 529, 532, 539, 545, 548, 553, 554, 560, 561, 572, 579, 581, 582, 588, 591, 599, 607, 609, 614, 616, 624, 629, 631, 635, 637, 644, 646, 651, 654, 661, 677, 680, 682, 693, 703, 705, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 716, 719, 727, 731, 742, 743, 745, 756, 762, 764 एवं 767. (147 आवेदन/145 उम्मीदवार)
कम पाए गए दस्तावेजों को जमा करने के अध्यक्षीन	अनुक्रमांक	250@, 277@, 333@, 402@, 565@, 603@, 606@, 729@ एवं 739@. (09 उम्मीदवार)

* समामेलित

@ अनंतिम रूप से बुलाया गया।

@ यदि उम्मीदवार निर्धारित तारीख के भीतर अपेक्षित दस्तावेज जमा नहीं कर पाते हैं तो उनके आवेदन को "अपूर्ण" श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जाएगा।

क्रीमी लेयर में शामिल अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार (इन्हें सामान्य उम्मीदवार के रूप में लिया जाएगा)

अभय

: अस्वीकृति :

उन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक जिन्हें लघु-सूचीबद्ध नहीं किया गया है।	अस्वीकृति की श्रेणी	अनुक्रमांक
	एलईक्यू-क(i)	51, 55, 88, 412, 413, 431, 438, 445, 461, 492, 517, 535, 542, 604 एवं 659. (15 उम्मीदवार)
	एलईक्यू-क(ii)	04, 08, 19, 26, 47, 56, 60, 67, 73, 81 94, 96, 97, 98, 99, 106, 119, 121, 127, 137, 154, 156, 160, 167, 170, 175, 177, 179, 187, 200, 205, 206, 211, 218, 229, 234, 236, 246, 248, 249, 251, 257, 261, 270, 280, 282, 284, 324, 326, 335, 341, 343, 346, 348, 357, 371, 380, 381, 385, 387, 389, 395, 397, 401, 426, 428, 430, 432, 444, 446, 452, 456, 462, 465, 475, 485, 487, 511, 515, 531, 544, 546, 555, 563, 569, 573, 575, 590, 594, 597, 602, 608, 611, 615, 617, 619, 626, 636, 639, 640, 642, 645, 656, 662, 664, 665, 666, 669, 672, 676, 678, 683, 694, 695, 696, 697, 700, 714, 717, 724, 730, 732, 733, 736, 738, 746, 748, 749, 754, 760, 761, 763, 765, 766, 768 एवं 770. (136 उम्मीदवार)
	एलईक्यू-क(iii)	164 (01 उम्मीदवार)
	एलईक्यू-ख	02, 29, 34, 39, 70, 80, 89/90*, 103, 107, 117, 120, 128, 131, 139, 153, 180, 182, 183, 185, 195, 197, 201, 207, 210, 215, 219, 224, 263, 266, 279, 283, 297, 322, 336, 340, 347, 352, 356, 367, 368, 384, 398, 403, 419, 420, 434, 468, 478, 483, 489, 495, 504, 513, 521, 522, 524, 541, 567, 570, 586/587*, 589, 592, 593, 595, 596, 600, 601, 610, 613, 628,643, 652, 653, 658, 660, 671, 673,675, 685, 687, 692, 699, 702, 715, 720, 725, 734, 735, 740, 744, 750, 752, 755, 758 एवं 769. (97 आवेदन/95 उम्मीदवार)
	एलईसी	03, 12, 14, 20, 27, 38, 86, 95, 111, 113, 134, 142, 146, 147, 155, 172, 203, 204, 223, 233, 239, 274, 299, 306, 307, 353, 355, 360, 364, 377, 427, 463, 516, 528 एवं 534. (35 उम्मीदवार)
	निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु	07, 217, 320, 498, 512, 527, 568, 580, 690 एवं 747. (10 उम्मीदवार)
	अपूर्ण	
	अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	93, 255, 276, 285, 286, 316, 328, 486 एवं 679. (09 उम्मीदवार)
	अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र	10, 25, 31, 33, 45, 61, 64, 68, 72, 77, 78, 91, 101, 102, 109, 118, 124, 125, 126, 133, 136, 145, 157, 158,

अमय

		278, 287, 292, 300, 301, 327, 359, 366, 376, 408, 464, 470, 508, 526, 537, 549, 571, 578, 584, 612, 621, 632, 641, 648, 649, 670, 684, 701, 704, 709, 721, 723, 737, 751, 753 एवं 757. (71 उम्मीदवार)
	अनुभव प्रमाण-पत्र में उल्लिखित अनुभव, आवेदन में दावा किए गए अनुभव से मेल नहीं खाता	583. (01 उम्मीदवार)
	मांगे गए दस्तावेज जमा नहीं किए गए	40, 44, 122, 162, 311, 370, 392, 399, 410, 425, 433, 451, 453, 457, 491, 503, 518, 519, 520, 533, 538, 585, 605, 620, 623, 627, 630, 650,667, 681, 688, 691 एवं 722. (33 उम्मीदवार)
	विचार क्षेत्र से बाहर	शेष 206 उम्मीदवार कम अनुभव वाले हैं।

*** सामामेलित**

महत्वपूर्ण अनुदेश:

ऐसे उम्मीदवार, जो उक्त पद हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु लघु सूचीबद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे मुख्य आधार/कारण बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक **20.10.2023** तक sort4.upsc@nic.in पर प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के बाद प्राप्त हुई मेल को खोला नहीं जाएगा। प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/कारण, अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए, तो ऐसे आवेदनों को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रहेगी। परन्तु इसकी जांच आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संबंध में ऑनलाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावे के अनुसार की जाएगी। तत्पश्चात्, यदि संवीक्षा संबंधी विवरण में कोई परिवर्तन हुआ, तो संशोधित और अद्यतन विवरण अपलोड किए जाएंगे। उक्त में से किसी ई-मेल का उत्तर अलग से नहीं दिया जाएगा।

अपनाए गए मानदंड	<p>(i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार तथा इसके साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों के अनुरूप कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है।</p> <p>(ii) वे आवेदक जिन्होंने 10वीं कक्षा तक अध्ययन की गई भाषाओं के समर्थन में 10वीं कक्षा के अंक पत्र/प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए थे, उन्हें एलईक्यू-क(iii)के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।</p> <p>(iii) उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित संपूर्ण अनुभव अवधि पर विचार किया गया है।</p> <p>(iv) भर्ती नियमों के अनुसार जिन उम्मीदवारों का अनुभव संगत क्षेत्र में नहीं है, उन्हें एलईक्यू - ख के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।</p> <p>(v) वे उम्मीदवार, जिनके पास पत्रकारिता में डिप्लोमा नहीं है, लेकिन पत्रकारिता/जन संचार में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है, उन्हें पात्र माना गया है।</p> <p>(vi) जिन आवेदकों की योग्यता एमबीए/एमए, मनोरंजन संचार, श्रव्य दृश्य संचार, रेडियो एवं टीवी संयोजक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दृश्य संचार आदि में स्नातक या स्नातकोत्तर है, उन्हें पात्र नहीं माना गया है।</p>
------------------------	---

अमय

नहीं माना गया है।

(vii) किसी भी मीडिया संगठन, सरकारी विभाग, रेडियो/टीवी चैनल या प्रिंट मीडिया में पत्रकारिता/संचार/पत्रकारिता + तकनीकी विभाग में कार्य करने के अनुभव को संगत माना गया है। रिपोर्टर /एंकर /प्रस्तुतकर्ता /होस्ट /स्ट्रिंजर /मॉनीटर /रिकार्डिंग आदि के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों को पात्र माना गया है। तथापि, रेडियो जॉकी के रूप में कार्य करने के अनुभव को संगत नहीं माना गया है।

(viii) अध्यापन और शोध में अनुभव को संगत नहीं माना गया है।

(ix) प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव को संगत माना गया है परन्तु इंटरनशिपके दौरान प्राप्त अनुभव को संगत नहीं माना गया है।

(x) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं. फा.8/84/2010-भर्ती(समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। परन्तु जिन्होंने कोई अनुबंध का उल्लेख किया हो और उसको प्रस्तुत नहीं किया हो, उनके आवेदन को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

(xi) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र तथा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र अथवा रोजगार प्रमाण-पत्र को अनुभव प्रमाण-पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को भी संगत अनुभव में कमी की श्रेणी में विचार किया गया है परन्तु उनके आवेदन को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

(xii) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है उनपर विचार किए बिना अस्वीकार किया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, परन्तु इस दावे के समर्थन में जमा किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र संपूर्ण अवधि का नहीं है अथवा उनके दावे का समर्थन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।


(xiii) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।

नोट:- आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।

उपर्युक्त पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित रूप से अपलोड कर दी गई है: मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची

संकेतक:

- एलईक्यू-क(i) - अनिवार्य योग्यता-क(i) में कमी
- एलईक्यू-क(ii) - अनिवार्य योग्यता-ख(ii) में कमी
- एलईक्यू-क(iii) - अनिवार्य योग्यता-क(iii) में कमी
- एलईक्यू-ख - अनिवार्य योग्यता-ख में कमी
- एलईसी - बढ़ाए गए मानदंड में कमी


11/11/2023
(ए. एन. मिश्रा)

उप सचिव (भ.IV)

दूरभाष: 011-23383766

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।